

अदालती नोटिस
इतिलानामा बनाम रेखाचन्द बाबत इतिलाना तारीख मुकररई समापन अपील
बाद नं०
अदालत-श्रीमान अपर आयुक्त (न्यायिक) बस्ती मण्डल महोदय बस्ती जिला-बस्ती
गंगाराम आदि
बनाम

जोड़े उर्फ रामअवध आदि
1. जोड़े उर्फ रामअवध पुत्र सेतू निवासी संगराम तथा उमरा परगना बस्ती पूर्व तहसील खूबोली जिला बस्ती 2. पांचू 3. हरिश्चन्द्र पुत्रगण विश्राम 4. कुमारी रोना 5. कुमारी बूदी 6. कुमारी रेखा पुत्रीगण दीनानाथ निवासी संगराम तथा उमरा परगना बस्ती पूर्व तहसील खूबोली जिला बस्ती 7. संगराम संगराम अर्पण प्रभान प्रेमरा तथा उमरा परगना बस्ती पूर्व तहसील खूबोली जिला बस्ती

तारीख पेशी 27-03-2026
अपील बनराजी अदालत मुकदमा मयरीखा महीना सन 2020 ई० रेखाचन्द

इतिलाना जी जाती है कि अपील बनराजी दिगारी इस मुकदमें में मुसमी ने पेश इस अदालत में दर्ज रिजल्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 27 महीना 03 सन 2026 ई० वारसे उमाना तथा अपील मुकदमा 2020 ई०

अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानून आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने जाइव हो हाजिर न आयांग तो उसकी समाप्त और तबीखी आपकी गैर हाजिरी में फक्तकार हो जायेगी।

आज बतारीख 24 माह 03 सन 2026 ई० मेरे दस्तखत और मुहर अदालत को हवाले किया गया।
२० हाकिम

अदालती नोटिस
सम्मन बरायत इनफिसाल मुकदमा (आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमूआ जापावा 200 ई०)
नम्बर मुकदमा-
माद सं०-2025/17650305862
माद 116 30920 राजस्थ सिद्धता 2006
अदालत- श्रीमान उपा जिलाधिकरी महोदय जिला-संतकबीरनगर
अनुवाचित
बनाम

समीपुल्लाह आदि
1. समीपुल्लाह 2. देवानुल्लाह मुशरफ सलामुल्लाह 3. श्रीमती मनीला खातून जंगल सलामुल्लाह साकिनान मौजा जंगल दरशर तथा बेलहर परगना बांसी पूर्व तहसील महोदय जिला संतकबीरनगर
-प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
4. हसमुल्लाह 5. अबीउल्लाह 6. इकीकुल्लाह 7. रफीउल्लाह 8. अताउल्लाह पुत्रगण कलीमुल्लाह 9. श्रीमती आमिना खातून पत्नी कलीमुल्लाह साकिनान मौजा जंगल दरशर तथा बेलहर परगना बांसी पूर्व तहसील महोदय जिला संतकबीरनगर

-प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
10. गाम पंचायत जौनल दरशर तथा बेलहर परगना बांसी पूर्व तहसील महोदय जिला संतकबीरनगर
-प्रतिवादी तृतीय वर्ग
तारीख पेशी 27-03-2026
जाहोद हो कि ने आपके ताम एक नालिश बाबत सवार की है। लिहाजा आपको हुम होता है कि आप बतारीख 27 माह 03 सन 2026 ई० बवक्त 10 बजे दिन भुमकाम असलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से फरार वाकई बाकिफ किया गया हो और जो कुल उरुअ अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्त हो जो कि जबाब देसै सवालता का दे सके हाजिर हो और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकरर है वारसे इन्फिसाल कल्टरई मुकदमा के तजवीजी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें।

आपको इतिलाना जी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।
बसख मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 26 माह सन 2026 ई० जारी किया गया।
२० हाकिम

लोक कल्याण के उद्देश्य से हुआ श्रीसीताराम का विवाह - स्वामी स्वरूपानन्द



—राष्ट्रीय बस्ती संवाददाता—

श्रीरामचन्द्ररामनास में महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी ने भगवान श्री राम और जनमन्दिनी सीता के विवाह का वर्णन बड़ी ही सुंदरता से किया है। इनका विवाह पूरी रामायण की सबसे महत्वपूर्ण सीता है क्योंकि प्रकृति के नियंत्रण को ज्ञाता भी कि जीवन में सौंदर्य बर्ष का नवानास और रावण जैसे अहंकारी असुर का वध बर्ष के वरण के बरोर सम्वत नहीं है। अतः श्रीराम-जानकी का विवाह मुख्य रूप से यह एक बड़े सचपत्ते है। महादान और द्रव्यदान से भी राम दान श्रेष्ठ है। विश्वामित्र के साथ श्रीराम लक्ष्मण चले। विश्वामित्र की गुणो की चर्चा करते हुये महात्मा जी ने कहा कि विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत विश्व बनोगे तो राम, लक्ष्मण तुम्हारे पीछे-पीछे आयेगे। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन के लिये तैयार नहीं होंगे ... राम देते नहीं

पारिवारिक विवाह में पति
संवाददाता-गोरखपुर।
मंगलवार रात करीब 12:30 बजे घर के भीतर किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देवते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान रमेश बेलवार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनो ने उन्हें संचालन की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात करीब 12:30 बजे घर के भीतर किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देवते ही देखते मारपीट में बदल गया। इस दौरान रमेश बेलवार गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनो ने उन्हें संचालन की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ने पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही

सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी म० इकबाल पुत्र अली हसन ग्राम- व पोस्ट- संबड़इया कला जनपद बस्ती (उ.प्र.) की निवासी हैं। मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद हाल ईप्लव वार्ड 2022 अनुक्रमांक 1222466415 का प्रमाणपत्र- सह -अंक प्राप्त वास्तव में खो गया है।

अदालती नोटिस
इतिलानामा दरखास्त हसुल हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश (आर्डर 5 कायदा 9) (2)
अदालत-श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) महोदय बस्ती जिला-बस्ती
प्रार्थीका सं० 76/2019
छोटे लाल आदि
बनाम

अदालती नोटिस
इतिलानामा दरखास्त हसुल हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश (आर्डर 5 कायदा 9) (2)
अदालत-श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) महोदय बस्ती जिला-बस्ती
प्रार्थीका सं० 76/2019
छोटे लाल आदि
बनाम

अदालती नोटिस
इतिलानामा दरखास्त हसुल हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश (आर्डर 5 कायदा 9) (2)
अदालत-श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) महोदय बस्ती जिला-बस्ती
प्रार्थीका सं० 76/2019
छोटे लाल आदि
बनाम

रनजीत सिंह आदि
1. रनजीत सिंह पुत्र राम भद्रस सिंह साकिन भूअर सरपच तथा दुबखार परगना नगर परिषद तहसील व जिला बस्ती 2. राजेन्द्र सिंह पुत्र कालेशर सिंह पुत्र साकिन सुर्तुहट्टा हाल मुकाम अवास विकास कालोनी तथा हवेली विधान बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती 3. अब्दुल रहीम पुत्र मोहम्मद हुसैन साकिन कठियांनानी कला पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती 4. विनोदा सिंह पत्नी चन्द्रवीरी सिंह साकिन पुर्सिया तथा पडिया परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 09-04-2026
हरगाह मु दई मजकूरसवर ने इस अदालत में दरखास्त हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश नाजूदा हस्त हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है। लिहाजा आपको इतिलाना जी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 09 माह 04 सन 2026 या असलतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुकाम मजाज हस्त हाजा और बाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर जवाह (अपर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरखास्त क्यों न मन्कूर किया जाय। मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—२० हाकिम

—9 दिवसीय संगीतमयी श्रीराम कथा

बनर गुंसाईं। देह प्रान्ते में प्रिय कछु नाहीं। सोउ मूल देउं निमित्त एक माहीं।। किन्तु जब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें समझाया कि सब मांगल होना राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष इन चारों कुमारां के विवाह का योग है तो यह सुनकर दशरथ विदाह हो गये। दशरथ सद्गुरु के अधीन थे और गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य किया। कथा प्रसंगो के क्रम में महात्मा जी ने कहा कि जीवन में सद्गुरु से ही मिवास नही है। जिसके जीवन में मधुरता नही ईश्वर उसे प्रिय नही है। महादान और द्रव्यदान से भी राम दान श्रेष्ठ है। विश्वामित्र के साथ श्रीराम लक्ष्मण चले। विश्वामित्र की गुणो की चर्चा करते हुये महात्मा जी ने कहा कि विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। जगत विश्व बनोगे तो राम, लक्ष्मण तुम्हारे पीछे-पीछे आयेगे। भगवान कहते हैं जब जीव मेरे दर्शन के लिये तैयार नहीं होंगे ... राम देते नहीं

की पीटकर ले ली जान,
रामदासवाल तामा पुलिस मोकै पर पहुँची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुये फूटका को पत्नी को हिरासत में लेकर प्रस्तावित शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मामला भेदु विवाद से जुड़ा माना जा रहा है, हालाँकि पुलिस सभी पहलुओं पर गहनता से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से

अदालती नोटिस
सम्मन बरायत करारवाद उमूर तक्रीह तबब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय- श्रीमान प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०) महोदय बस्ती जिला-बस्ती
प्रार्थीका सं०-165/2025
नदन गोपाल
बनाम
संतोष आदि

1. संतोष कुमार उम करीब 63 वर्ष पुत्र कुनसूरुप दास 2. राजेन्द्र अग्रवाल उम करीब 39 वर्ष पुत्र परसरामदास उर्फ चन्द्रशरमा दास 3. संजीव अग्रवाल उम करीब 36 वर्ष पुत्र परसरामदास उर्फ चन्द्रशरमा दास निवासीगण ग्राम बननाबाड़ा तथा हवेली परगना बस्ती पूर्व तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 28-03-2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपका 28 माह 03 सन 2026 ई० बवक्त 10 बजे दिन असलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से फरार वाकई बाकिफ किया गया हो और जो कुल उरुअ अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्त हो जो कि जबाब देसै सवालता का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारसे इन्फिसाल कल्टरई मुकदमा के तजवीजी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इतिलाना जी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।
बसख मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
२० हाकिम

पेट्रोल पंपों पर उमड़ी लोगों की भीड़, अफवाहों से बड़ी अफरा-तफरी, पुलिसकर्मियों की तैनाती



संवाददाता-सिद्धार्थनगर।

कुमार को पेट्रोल पंप पर अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरे जिले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप किया और विभिन्न पंपों पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया। जिला मुख्यालय के मुख्यमंत्री किशत बालाजी पेट्रोल पंप पर हालात सबसे गंभीर रहे। यहां कुछ ही समय में पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया, जिससे लोगों में खबरवाह बढ़ गई। इंधन समाप्त होने की खबर फैलते ही अन्य पेट्रोल पंपों पर भी भीड़ तेजी से बढ़ने लगी, जहां लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। लाइन में लगे अनूप सिंह ने बताया कि वह खुद से अपनी कार लेकर उभरे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया है। उन्होंने

पुलिस पर पथराव: पट्टीदारी विवाद में पहुंची थी पीआरबी, सीओ समेत भारी पुलिस बल ने संधीला मोर्चा

बहाल की। हालांकि पुलिस के किसी भी जवान को चोट नहीं लगी। जब पट्टीदारों के बीच मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। नशे में मगली-तोलूज के बाद दोनों पह आगने-सागने आ गए और देखते ही देखते मारपीट के साथ पथराव शुरू हो गया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, प्रथम पक्ष के निनय वादव व राजामण यादव तथा द्वितीय पक्ष के संकीर्त यादव, राजन यादव और साजन यादव के बीच पहले कहासुनी हुई। आरोप है कि नशे में धुल एक पक्ष द्वारा अमर भाषा का प्रयोग किया जाने पर विवाद बढ़ गया। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के लोग लाली-डंडों के साथ आगने-सागने आ गए। इस दौरान जमकर मारपीट और पथराव हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया।

अदालती नोटिस
इतिलानामा दरखास्त हसुल हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश (आर्डर 9 कायदा 9) (2)
अदालत-श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती
प्रार्थीका सं०-54/2023
हजारी लाल आदि
बनाम
उमापति आदि

1. उमापति 2. विवेकचंद्र पुत्रगण श्यामनारायण 3. शिवसहाय 4. राम सहाय 5. रामअचर पुत्रगण उदयनारायण 6. रामन पुत्र बुजू 7/1 श्रीमती नसीम पत्नी स० हरिगुन 7/2 पुरुषोत्तम नावालित पुत्र स० हरिगुन 7/3 कुल पूर्णिमा 7/4 कुल शशि 7/5 कुल निधि 7/6 कुल आशिका नावालित पुत्र पुत्रीगण स० हरिगुन बवक्त पत्निये श्रीमती नीलम माता हकीमी 8/1 चन्द्रकाली पत्नी स० रामजगजीर 8/2/1 सुभाष उर्फ पिंगर 8/2/2 सुशील उर्फ विजुल पुत्रगण स० शीरद 8/3 अरुण कुमार पुत्र स० रामजगजीर 8/4 चन्द्रवीरी 8/5 शकुन्तला पुत्रीगण स० रामजगजीर 9. कुशलेंद्र पुत्र शकुन्तल उर्फ लल्लन 10. सचिन नावालित पुत्र शकुन्तल उर्फ लल्लन 11. विश्वामनारायण उर्फ राममन्त 12. हरिश्चन्द्र पुत्रगण संकेता प्रसाद उर्फ पुत्रा 13. विश्वराम 14. शम्भू कुमार पुत्रगण रामसरन निवासीगण मौजा गामा तथा चरकला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

-प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग
16. रामजीत पुत्र साकिन मौजा रामघाट तथा चरकला परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
-प्रतिवादीगण द्वितीय वर्ग
तारीख पेशी 21-04-2026
हरगाह मु दई मजकूरसवर ने इस अदालत में दरखास्त हुकम मुशरफ मन्सूफी डिमिसिनी नालिश नाजूदा हस्त हियादत अदालत हाजा बतारीख माह सन ई० पेश को है। लिहाजा आपको इतिलाना जी जाती है कि आप इस अदालत में बतारीख 21 माह 04 सन 2026 या असलतन या बजरिये वकील अदालत हाजा या मुकाम मजाज हस्त हाजा और बाकिफ हाल मुकदमा में हाजिर होकर जवाह (अपर कोई हो) जाहिर करें कि नाबुदी की दरखास्त क्यों न मन्कूर किया जाय। मेरे दस्तखत और मुहर

चलते लोग घबराकर पेट्रोल पंपों पर पहुंच रहे हैं, जिससे कृत्रिम रूप से भीड़ बढ़ रही है। प्रशासन ने

अदालती नोटिस
वाद के निपटारे के लिये सम्मन (आदेश 5 के नियम 1 और 5 व्या०प्र० सहित 1908)
व्यवहार वाद संख्या 92 / 2021
न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) एफ.टी.सी. स्थान- सिद्धार्थनगर जिला- सिद्धार्थनगर
नगेरका शिवेन्द्र नामा थिये
बनाम
दीपक अवस्थी आदि

1. दीपक अवस्थी वालिग 2. ज्ञान शंकर अवस्थी वालिग 3. मानू शंकर अवस्थी वालिग पुत्रगण स० वीरचंद्र अवस्थी निवासीगण ग्राम व पी० लखीमपुर जिलाना खीरी तहसील मण्डल मुकदमा प्रिजा खीरी
तारीख पेशी 23-05-2026
प्रतिवादी ने आपके विरुद्ध के लिये वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में दिनांक 23-05-2026 को दिन में 10 बजे वाद का उत्तर देने के लिये उपस्थित (हाजिर) होने के लिये सम्न किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे अधिकृत वकील द्वारा उपा संज्ञात हो सकते हैं। जिसे सम्न अनुरोध दिये गये हों और जो वाद से सम्बंधित सभी सारागण प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ उसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सच प्रश्नों का उत्तर दे सके न्यायालय में आपके उपा संज्ञात के लिये जो दिन निवृत्त किया गया है वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिये निवृत्त दित है। इसलिये आपको उपा उरत आने उरन सच साबितो को या उरन सच दस्तावेजो को पेश करने के लिये तैयार रहना बाहिबे जिन पर आप अपनी प्रतिशथा के लिये निम्न रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि अगर आप स्वयं या कौनसी भी तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो आपकी उपा संज्ञात और उरना निपटारा बाकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज तारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुकदमा की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
न्यायाधीश

अदालती नोटिस
सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तक्रीह तबब (आर्डर 5 कायदा 1 व 5)
न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) खलीलाबाद महोदय बस्ती जिला-बस्ती
वाद सं०-200/2025
शिव प्रसाद
रामशोभार आदि

1. रामशोभार उम 66 वर्ष पुत्र चन्द्रबली -प्रतिवादी प्रथम वर्ग
2. रामसजिउर उम 50 साल पुत्र रामचन्द्र 3. रामनजक उम 60 साल पुत्र रामचन्द्र (विवासीगण ग्राम उरफिया उर अमिताहा तथा म्हेली परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती

सावित्री देवी आदि
1. सावित्री देवी पत्नी गोपाल 2. गोपाल पुत्र सुखूख निवासीगण मौजा सिरौता तथा कपरी महसो परगना महुली पश्चिम तहसील व जिला बस्ती
तारीख पेशी 29-04-2026
हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपका 29 माह 04 सन 2026 ई० बवक्त 10 बजे दिन असलतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से फरार वाकई बाकिफ किया गया हो और जो कुल उरुअ अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्त हो जो कि जबाब देसै सवालता का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकरर है वारसे इन्फिसाल कल्टरई मुकदमा के तजवीजी हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हो पेश करें। आपको इतिलाना जी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बरोर हाजिरी आपके मसमूआ और फैसला होगा।
बसख मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई० जारी किया गया।
—२० हाकिम

बताया कि तेल कंपनियों की ओर से नियमित आपूर्ति जारी है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। बावजूद इसके लोग विना पुष्टि किए अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे संयम बनाए रखें और केवल आवश्यकता अनुसार ही इंधन खरीदें।

वहीं भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को सक्रिय कर दिया गया है। पेट्रोल पंपों पर तैनात पुलिसकर्मी लाइन को व्यवस्थित करने में जुटे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अफवाहों पर ख्यान न दें। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले पाए।

फिरहाल प्रशासन हालात को नियंत्रित करने में जुट चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, बशर्तें जहां अफवाहों से दूर रहकर सहयोग करें।

अदालती नोटिस
हेतु सन्वर्धित करने की सूचना साधारण प्रकृति (आर्डर 5 कायदा 3)
न्यायालय- श्रीमान सिविल जज (सी०डि०) जनपद सिद्धार्थनगर
इतरा वाद सं० 54/2025
विजय कुमार आदि
बनाम
अनिल कुमार आदि

1. अनिल कुमार उम लगभग 62 वर्ष पुत्र रामलज्ज 2. मूलत अशोक कुमार पुत्र रामलज्ज 3. आशीष कुमार उम लगभग 28 वर्ष 4. आलोक कुमार उम लगभग 24 वर्ष पुत्रगण स० अशोक कुमार 5. मूलत अरुण कुमार पुत्र रामलज्ज 6. मुकेश कुमार उम लगभग 25 वर्ष हरिश्चन्द्र प्रसाद 4. वृज विहारी उम लगभग 50 वर्ष पुत्र रामअश्वर साकिनान खुशुदिया तथा देवरुआ परगना नौमड तहसील शोहरावाड जिला सिद्धार्थनगर 8. मनोमो कुमार उम लगभग 30 वर्ष 9. संतोष कुमार उम लगभग 28 वर्ष पुत्रगण स० नवलाल 10. समीर उम लगभग 36 वर्ष 11. मनोप 12. सुशीर उम लगभग 32 वर्ष पुत्रगण स० रामकुमार 13. अरुण कुमार उम लगभग 55 वर्ष 14. वृजेश कुमार उम लगभग 50 वर्ष 15. रिंतेल कुमार उम लगभग 48 वर्ष 16. मिथेला कुमार उम लगभग 41 वर्ष पुत्रगण स० राम गोपाल साकिनान खुशुदिया तथा देवरुआ परगना नौमड तहसील शोहरावाड जिला सिद्धार्थनगर
तारीख पेशी 02-04-2026
चूँकि उररानामाकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि आपकी आपके प्लद द्वारा वेतानीवी की जतारों के लिए आप इसे आदेश के विरुद्ध हस्त सन्वर्धित करने के लिये 2026 के माह 04 के 02 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान में स्वयं या आपके रूपेण अनुदिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसे न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।
मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाला गी।
२० हाकिम

दैनिक भारतीय बस्ती
संस्थापक संपादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय
रसवाहिका, प्राशकाश, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दार्ण प्रिन्टिंग प्रेस वि०. नया हाण 1-4 A लोसिया काम्पलेस जिला पंचायत बनन गाधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित प्रेस प्रकाशित।
प्रबन्ध संपादक-दिनेश सिंह संयुक्त संपादक-प्रदीप चन्द्र पाण्डेय
अधोधा-संवादाक कार्यालय-चट्टीगुन देवी परिसर लखम घाट अयोध्या-कैलाश
लखनऊ कार्यालय-आशियाना कानपुर (एल.डी.ए. कॉलोनी), संस्कर एन. कौशर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय-इहालीगंगा गोरखपुर।
मै० 9336715406, 8400925463
ई-मेल bhartiyaabasti@gmail.com
dailybhartiyaabasti@gmail.com